भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1187

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

पीएम-दक्ष योजना

1187. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री मनोज तिवारी:
श्री बृजमोहन अग्रवाल:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री नव चरण माझी:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-दक्ष योजना के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और यह किस हद तक हाशिए पर पड़े व्यक्तियों, जिनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजातियां और कूड़ा बीनने वाले सफाई कर्मचारी शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है;
(ग) क्या प्रधानमंत्री दक्ष योजना के लिए बजट आवंटन में कोई परिवर्तन किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): पीएम-दक्ष स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), कचरा बीनने वालों सहित सफाई मित्रों आदि जैसे विभिन्न

लक्षित समूहों के योग्यता स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि उन्हें उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और कामकाजी-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके। लक्षित समूह के अधिकांश व्यक्तियों के पास न्यूनतम आर्थिक परिसंपत्ति है; इसलिए, इन लाभवंचित लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण/उत्थान के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है।

इस स्कीम के अंतर्गत, कोई भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जबकि कचरा बीनने वालों सहित एससी / डीएनटी / सफाई मित्रों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

(ग) और (घ): इस स्कीम को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 450 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पीएम-दक्ष स्कीम के अंतर्गत 130 करोड़ रुपये था।

******